

13⁵/₂₄

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्षों के बीच, वरिष्ठ अधिकारी
भाण्डल से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि, निम्नलिखित
सारजिमात का वर्तमान में खेतीबाड़ी आगुलन बंद हो गया है,
यहाँ प्रकरण निचारादिन है एवं खेतीबाड़ी है। प्रत्येक रिपोर्ट
को शाप पत्र दिया गया। वरिष्ठ पत्रावली अग्रिम कार्य
है नियत दिनांक 12-3-24 को पेश हो। (H)

12327

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 14⁵/₂₄ को पेश हो।

14⁵/₂₄

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 23⁷/₂₄ को पेश हो।

23⁷/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वादी मध्य अधिवक्ता
उपस्थित नहीं। कोर- 2व शक- शक (वादी एवं
उत्तरे अधिवक्ता को कावाजे लगाने पर भी
कोई हाजि नहीं है। कोर: वादी का वाद
हादम हाजरी व हादम पैली में खारी ज वि
जाता है।

✓
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा